रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/97

REGD. NO. D. L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 27, 1997/भाद्र 5, 1919
No. 25] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 27, 1997/BHADRA 5, 1919

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1997

फा. सं. ए- 12022/6/96-पी ई-1.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा श्री आर आर सिन्हा, भा. प्रा.से. (महा: 76) को श्री बी.पी. पांडेय भा. प्र.से. (महा: 76), जो अपने काडर में लौट गए हैं, के स्थान पर 5900-6700 रु. के वेतनमान में, उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष के सामान्य कार्यकाल के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, मुम्बई पत्तन न्यास का उपाध्यक्ष नियुक्त करती है ।

के. वी.राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 1997

F. No. A-12022/6/96-P.E. 1.—In exercise of the powers conferred on them by clause (b) of Sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Govt. appoint Shri R. R. Sinha, IAS (MH : 76) as Deputy Chairman in Mumbai Port Trust in the scale of pay of Rs. 5900-6700/-for a normal tenure of five years, from the date of assumption of charge of the post and until further orders whichever is earlier vice Shri B. P. Pandey, IAS (MH : 76) repatriated to his cadre.

K.V. RAO, Jt. Secy.

2131GI/97

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997